उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

फौजदारी अपील संख्या 270 वर्ष 2014

श्री नरेश कुमार

..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

..... प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्तागण।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता : श्री आर0एस0 सम्माल

उत्तराखण्ड राज्य की ओर से : श्री अमित भट्ट

पीठ : माननीय सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश

: माननीय नारायण सिंह धानिक

माननीय सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश

निर्णय

प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में पारित आदेश दिनांकित 23.07.2014 के विरूद्ध, जिसमें अपीलार्थी को आजीवन कारावास के दण्ड व मुबलिग 5,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, के विरूद्ध योजित की गई है। हालांकि आपीलार्थी को धारा 328 भारतीय दण्ड संहिता सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किया गया है।

2. मृतका के ससुर मंगल सिंह निवासी ग्राम शेरपुर, बुला, थाना खानपुर, जिला हरिद्वार द्वारा मामले में दिनांक 20/21 जून, 2007 मध्यरात्रि लगभग 1:10 ए.एम को प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि उसकी पुत्र वधु दिनांक 09.06.2007 को अपने बच्चे के साथ खुद के लिए दवाई लेने स्थानीय बाजार गई थी, तब से वह लापता है। जब वह वापस नहीं आई तो वह स्वंय स्थानीय गांव वालों के साथ उसकी ढूंड खोज में गया किन्तु वह नहीं मिली। लगभग दस दिनों बाद दिनांक 19.06.2007 को जोगेन्द्र उर्फ जोगी ने अपने भाई सुखबीर को दूरभाष पर सूचना दी कि आज बबलू उर्फ पवन द्वारा उसे फोन से

सूचना दी गई उसकी बहन (मृतका बाटी सुखबीर व जोगेन्द्र की बहन थी) बबलू व डॉक्टर नरेश (अपीलार्थी) के साथ पिछले 10 दिनों से थे और उन्हीं के द्वारा मृतका को जहर दिया गया, उसके बाद उसे लक्सर में भिक्कमपुर की बस में जाने को कहा, वह लोग उसे भिक्कमपुर में ढूंढ सकते हैं। जब वादी को यह जानकारी मिली तो वह सुखबीर व अन्य लोगों के साथ उस स्थान पर, जहां बाटी को बस से उतरना था, वहां गये। उन्होंने पाया कि बाटी अपने बच्चे के साथ बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ी है। मृतका बाटी को पहले स्थानीय नर्सिंग होम ले जाया गया, तत्पश्चात् सरकारी अस्पताल हरिद्वार ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी पुत्रवधु की मृत्यु बबलू एवं डॉक्टर नरेश द्वारा दिये गये जहर के कारण हुई है।

3. इस स्तर पर यह कहा जाना चाहिए कि यद्यपि इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी डॉक्टर नरेश के रूप में संदर्भित किया जाता है किन्तु वह एक अर्हता प्राप्त एम0बी0बी0एस डॉक्टर नहीं है।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में बबलू और डॉक्टर नरेश दोनों को गिरफ्तार कर, पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 302, धारा 328 सपिठत धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामला दिनांक 29.10.2007 को सेशन को सुपुर्द किया गया तथा दिनांक 18.11.2009 को अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 328 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया।

5. इस स्तर पर यहां यह उल्लिखित करना आवश्यक है कि सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.06.2010 से बबलू को किशोर घोषित किया गया, जिसकी सुनवाई अलग से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष की गई जिसमें बबलू को बोर्ड द्वारा दिनांक 03.03.2012 को दोषमुक्त घोषित किया गया। इसी दौरान अपीलार्थी डॉक्टर नरेश के विरूद्ध सत्र परीक्षणीय संख्या–410 वर्ष 2007 चला।

6. अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए 7 गवाहों को परीक्षित कराया। इन गवाहों में से साक्षी पी0डब्ल्यू0–1, पी0डब्ल्यू0–2, पी0डब्ल्यू0–3 व पी0डब्ल्यू0–6 महत्वपूर्ण गवाह है। शेष गवाह पी0डब्ल्यू0–4, पी0डब्ल्यू0–5 व पी0डब्ल्यू0–7 मात्र औपचारिक गवाह हैं।

7. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 जो कि वादी मुकदमा व पीड़िता के ससुर है, के द्वारा अपने साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये कथनों का समर्थन किया गया। दिनांक 02.09.2011 को साक्षी के मुख्य परीक्षा बयान अंकित किये गये थे। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा हेतु अन्य तिथि की याचना की गई किन्तु कभी भी साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

8. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 चन्द्रपाल मृतका के पति द्वारा लगभग उन्हीं तथ्यों को उल्लेख किया गया, जो साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया था, कि उसकी पत्नी दिनांक 09 जून, 2007 से लापता है और वह उसकी 10 दिन से ढूंडखोज कर रहे हैं। अंत में उन्हें टैलीफोन पर कुछ जानकारी मिली और जब वह उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने सड़क किनारे पुत्र राहुल को रोते हुए व मृतका बाटी जो बेहोशी की हालत में पाया। दिनांक 28.03.2012 को साक्षी के मुख्य परीक्षा बयान अंकित किये गये थे किन्तु पुनः बचाव पक्ष द्वारा जिरह को स्थगित गया और फिर कभी जिरह नहीं की गई।

9. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 सुखबीर मृतका का भाई है। साक्षी के मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 07.05.2012 को अंकित किये गये थे जिसमे उसके द्वारा कथन किया गया कि करीब 4–5 साल पहले, उसकी बहन अपने पुत्र के साथ दवाई लेने के लिए खानुपर गई थी, जहां उसकी मुलाकात अभियुक्तगण बबलू और डॉक्टर नरेश से हुई, जो उसे अपने साथ ले गये। जब दो दिन के बाद भी उसकी बहन घर नहीं लौटी तो उसकी बहन के ससुर व उसके जीजा उसके गांव आये और बाटी के बारे में पूछताछ करने लगे। साक्षी द्वारा फोन कॉल एवं मृतका के सड़क किनारे मिलने एवं बबलू व डॉक्टर नरेश द्वारा उसे जहर देने के तथ्यों को दोहराया। बचाव पक्ष द्वारा जिरह को टाल दिया गया तथा दिनांक 29.05.2012 को साक्षी से जिरह की गई किन्तु कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपरीक्षा में नहीं आया।

10. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 राहुल वह बच्चा है, जो घटना के समय 4–5 वर्ष का था। दिनांक 06.01.2014 को साक्षी के मुख्य परीक्षा बयान अंकित किये गये थे, तब वह लगभग 12 वर्ष का था। साक्षी द्व ारा न्यायालय में डॉक्टर नरेश की पहचान कर, कथन किया कि वह उसे जानता है। साक्षी द्वारा कथन किया गया कि 6 साल पहले अभियुक्त डॉक्टर नरेश उसे व उसकी मां को घर से ले गया था, वह करीब 10–12 दिनों तक साथ–साथ घूमे और इसी दौरान अन्य अभियुक्त बबलू भी उनके साथ आ गया था। उस दिन अपीलार्थी द्वारा एक पानी के गिलास में एक जहरीला पदार्थ मिलाया और उसकी मां को पिला दिया।

फिर वह और उसकी मां भिक्कमपुर के लिए बस में बैठ गये। उसकी मां रास्ते में बेहोश हो गयी, तब कंडक्टर ने उसकी मां को बस से उतरने में मदद की। किन्तु तब तक उसके दादा व गांव के अन्य लोग भी सड़क किनारे मौके पर पहुंच गये। उसकी मां को अस्पताल ले जाया गया। साक्षी द्वारा यह दोहराया गया कि अपीलार्थी नरेश द्वारा उसकी मां को जहर देकर मार दिया गया। दौराने जिरह साक्षी द्वारा कथन किया गया कि घटना 5–6 पहले की है, बस के कंडक्टर द्वारा उन्हें बस से उतरने में मदद की गई थी। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि जब वह बस से उतरा तब वह अकेला था। बस के कंडक्टर द्व ारा उन्हें बस से उतरने में मदद की गई थी। उसका गांव घटनास्थल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बचाव पक्ष के प्रश्न के उत्तर में साक्षी द्वारा दोहराया गया कि अपीलार्थी द्वारा उसकी मां को जहर दिया गया था।

11. इस स्तर पर यह इंगित किया गया है कि विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 के बयान अंकित किये थे, जो उस समय 4–5 साल का था, तब साक्षी द्वारा यह कथन किया था कि उसकी मां को बबलू ने जहर दिया था। इसके अलावा अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 को कभी भी किशोर न्याया बोर्ड में बबलू के परीक्षण के दौरान परीक्षित नहीं कराया गया।

12. अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अवर न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 राहुल के बयानों पर अत्याधिक विश्वसनीय पाते हुये, गवाह की एक मात्र गवाही पर अपीलार्थी को अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहित में दोषी ठहराया गया है। क्या अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 विश्वसनीय गवाह है ?

13. मामले के अन्य ऐसे पहलू भी हैं जो कि विश्वसनीय नहीं है और अभियोजन के मामले को पुष्ट नहीं करते हैं। मृतका बाटी अपने ससुराल से दिनांक 09.06.2007 से अपने पाच साल के पुत्र के साथ लापता थी किन्तु न तो उसके ससुर द्वारा न पति द्वारा और न ही भाई द्वारा उसकी गुमशुदगी से संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराई गई। क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सिर्फ मृतका बाटी के मिल जाने के बाद व उसके मरने के बाद व क्रियाक्रम के बाद ही हो सकती थी। इसका कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण न तो अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 और न ही अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 द्वारा दिया गया कि ऐसी कौन से परिस्थितियां भी जिस कारण वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाये। वादी द्वारा तहरीर में मात्र यह कथन किया गया

कि उनके द्वारा मृतका व उसके पुत्र की लगातार खोजबीन की जा रही थी, जिस कारण से उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई।

14. इसके अतिरिक्त अभियोजन के मामले में बेहद कमजोर कड़ी वह रहस्मयी फोन कॉल है। अभियोजन के अनुसार अन्य अभियुक्त बबलू द्वारा जोगेन्दर को सूचित किया गया कि वह और डॉक्टर नरेश उसकी बहन को अपने साथ खानपुर ले गये और मृतका को 10 दिन के लिए अपने पास रखकर उसे जहर दे दिया और फिर मृतक व उसके पुत्र को बस में बैठा दिया, यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

15. अब हम अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 राहुल के बयानों पर आते है, जोकि घटना के समय 4–5 साल का था। अभियोजन का यह मामला नही है कि गवाह द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष किये गये बयानों से पूर्व कभी भी ऐसा कोई बयान दिया हो कि अपीलार्थी द्वारा ही जहर दिया गया था। अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह आरोप लगाया है कि सह अभियुक्त बबलू द्वारा जहर दिया गया था। अब घटना के 7 साल बाद साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा बयान में यह कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा जहर दिया गया था। यह अत्यन्त असंभव है कि एक 12 साल का बच्चा, तब की घटना का विवरण याद रख सके जब वह 4–5 साल का था। अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 राहुल के बयान की पुष्टि मामले के किसी भी साक्ष्य से नहीं होती है। बाल गवाह का बयान साक्ष्य में ग्राह्य है किन्तु न्यायालय को उक्त साक्ष्य के मूल्यांकन में सावधान रहना चाहिए। आम तौर पर बाल गवाह के साक्ष्य की सम्पुष्टि अन्य साक्ष्यों से की जानी चाहिए। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह व अन्य (2017) 11 एस0सी0सी 195 में यह अवधारित किया है कि ''यह सुस्थापित है कि बाल गवाह के साक्ष्य पर विश्वास किये जाने से पूर्व उसके साक्ष्य को अन्य साक्ष्यों से पर्याप्त पुष्टि मिलनी चाहिए। चूंकि पुष्टि का नियम व्यवहारिक ज्ञान का नियम है।''

16. उपरोक्त स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, बेबी कन्डयांथिल बनाम केरला राज्य, राजा राम यादव बनाम बिहार राज्य, दत्तु रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, उत्तर प्रदेश बनाम अशोक दिक्षित व सुर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य में स्थापित विधि की पुनरावृत्ति है।

17. ऐसी स्थिति में, हमारे विचार से मात्र बाल गवाह की गवाही के आधार पर सजा नहीं होनी चाहिए थी। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है, जो कि अभियोजन द्वारा साबित नहीं

किया गया है। नतीजतन अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.07.2014 को अपास्त करते हुये, अपीलार्थी को दी गई सजा से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जेल में है। अपीलार्थी को तत्काल जेल से रिहा किया जाये, यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित न हो।

18. इस निर्णय व आदेश की प्रति एलसीआर के साथ, बाद आवश्यक कार्यवाही अवर न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(नारायण सिंह धानिक, न्यायाधीश) **(सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश)**

12.12.2018